

## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्वरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

<u> दिनांक-07.02.2025</u>

विषयः- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में हत्या के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 12-12 हजार रु0 अर्थदण्ड।

थाना लोहता, किमश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-305/2019 धारा 302, 201 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र बनारसी विश्वकर्मा व 02- अरविन्द कुमार पटेल पुत्र लालजी पटेल निवासीगण- चुरामनपुर थाना लोहता किमश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटिरंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-06.02.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-01 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 01- अनिल कुमार विश्वकर्मा व 02- अरविन्द कुमार पटेल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 में सश्रम आजीवन कारावास व 10,000/- रू० के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रू० के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

सोशल मीडिया सेल पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्वरेट वाराणसी।